संख्या–।/२९७४१५/ XXVII-7/ E-65846/2023

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–7 **देहरादून : दिनांक 15 मई, 2025**

विषय–सरकारी सेवकों को अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा विषयक पूर्व निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों/बिन्दुओं में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सरकारी सेवकों की अवकाश यात्रा सुविधा को पुनःस्थापित किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–1115/वि0अनु0–03/2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003, सपठित शासनादेश संख्या–330/xxvii/(3)अ.या.सु./2005 दिनांक 18 अगस्त, 2005 एवं इसी कम में शासनादेश संख्या–67/xxvii(7)5(1)/2011 दिनांक 08 जून, 2011 द्वारा कतिपय प्रावधानों के संबंध में निर्गत स्पष्टीकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– बदलते परिदृश्य में सरकारी सेवकों की जरूरतों के अनुसार उन्हें बेहतर अवकाश यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के उददेश्य से सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम में शासनादेश संख्या–330/xxvii/(3)अ.या.सु./2005 दिनांक 18 अगस्त, 2005 एवं शासनादेश संख्या–67/xxvii(7)5(1)/2011 दिनांक 08 जून, 2011 को अधिक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या–1115/वि0अनु0–03/2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 एवं शासनादेश संख्या–330/xxvii/(3)अ.या.सु./2005 दिनांक 18 अगस्त, 2005 द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा हेतु निर्धारित व्यवस्था के बिन्दु संख्या–9, 10, 11 एवं 12 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

(I) **बिन्दु संख्या– 9 अवकाश की प्रकृति–** इस सुविधा का उपभोग करने के लिए कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 05 दिन अथवा वास्तविक यात्रा अवधि, जो अधिक हो, का उपार्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य होगा।

(II) **बिन्दु संख्या– 10 सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिए अधिकृत श्रेणी–** सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्य सरकारी सेवक के 'धारित पद' के वेतन स्तर के सापेक्ष निम्नलिखित तालिकानुसार वायुयान/रेल यात्रा के लिए अधिकृत होंगे:–

क.सं.	वेतन स्तर	अधिकृत श्रेणी
1	2	3
1.	लेवल–14 एवं उससे उच्च	बिजनेस क्लास / ए0सी0 प्रथम श्रेणी रेल यात्रा एवं एक्जीक्यूटिव क्लास कुर्सीयान
2.	लेवल–10 से लेवल–13 (क) तक	इकोनॉमी श्रेणी वायुयान यात्रा/ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल यात्रा/ एक्जीक्यूटिव क्लॉस कुर्सीयान
3.	लेवल–6 से 9 तक	वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा/ वातानुकूलित कुर्सीयान
4.	लेवल–1 से 5 तक	वातानुकूलित तृतीय श्रेणी रेल यात्रा/ वातानुकूलित कुर्सीयान

सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों को रेल यात्रा की सुविधा डायनमिक –फ्लैक्सी फेयर के साथ भी अनुमन्य होगी। रेल की यात्रा भारत में चलने वाली समस्त प्रकार की ट्रेनों के लिए अनुमन्य होगी, सिवाय भारत में चलने वाली विशेष पर्यटक ट्रेनों यथा 'पैलेस ऑन व्हील्स', गोल्डन चैरियट आदि को छोड़कर। साथ ही धार्मिक यात्राओं के लिए प्रायोजित ट्रेनों के लिए भी रेल यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

वायुयान यात्रा के लिए न्यूनतम 15 दिन पूर्व टिकट लेना अनिवार्य होगा। यह अवधि 15 दिन से कम होने पर सरकारी सेवक को अनुमन्य रेल यात्रा की श्रेणी के अनुसार ही या त्रा भत्ता दावों में देय होगा। बिजनेस क्लास में वायुयान यात्रा किये जाने की स्थिति में देय वायुयान यात्रा भत्ता उस दूरी के लिए समान्य श्रेणी की ट्रेनों के वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा के किराये से 06 गुना से अधिक नहीं होगा वहीं इकोनॉमी श्रेणी में वायुयान यात्रा किये जाने की स्थिति में देय वायुयान यात्रा भत्ता उस दूरी के लिए समान्य श्रेणी की ट्रेनों के वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा के किराये से 03 गुना से अधिक नहीं होगा।

(III) **बिन्दु संख्या– 11 वायु मार्ग/रेल मार्ग के अतिरिक्त यात्रा–** ऐसे स्थान जो वायुमार्ग/रेल से न जुड़े हों, वहॉ राजकीय सेवक सड़क मार्ग/जलयान/नौका वाहन से यात्रा कर सकते हैं।

सड़क मार्ग से यात्रा करने पर कर्मचारी को अधिकतम ए0सी0/वोल्वो बस से यात्रा की अनुमन्यता होगी। सड़क मार्ग से यात्रा ऐसे स्थानों के लिए जो रेल मार्ग से न जुड़े हों अथवा केवल निवास स्थान से (यदि निवास स्थान रेलवे स्टेशन से न जुड़ा हो) के निकटतम रेल हेड से गन्तव्य स्थान तक। तत्पश्चात रेल मार्ग से गन्तव्य स्थान (यदि गतन्वय स्थान रेल मार्ग से न जुड़ा हो) के निकटतम रेल हेड से गन्तव्य स्थान तक, संबंधित राज्य के परिवहन निगम या विभाग/प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नियमित बस सेवा, जो निश्चित अन्तराल पर निर्धारित किराये पर संचालित होती हो, से अनुमन्य होगी।

जलमार्ग से यात्रा किए जाने पर उक्त बिन्दु संख्या–10 की तालिकानुसार अनुमन्य रेल की श्रेणी के समतुल्य श्रेणी के अनुसार यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा। यदि जलयान में मात्र दो श्रेणियां हैं तो लेवल–1 से 9 तक लोअर क्लास की अनुमन्यता होगी। इस हेतु कार्मिक द्वारा संबंधित क्षेत्र की सरकार/संस्था द्वारा निर्धारित जलयान की श्रेणी का विवरण उपलब्ध कराया जाना होगा।

वायुमार्ग/रेलमार्ग से भिन्न माध्यम से यात्रा करने की स्थिति में सम्बन्धित सरकारी सेवक के द्वारा लिखित रूप में प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि वहॉ वायुयान /रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है और अमुक सुविधा ही उपलब्ध थी।

(IV) **बिन्दु संख्या– 12 उच्चतर/निम्नतर श्रेणी में यात्रा–** यदि यात्रा अधिकृत श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में की जाती है तो उस स्थिति में सरकारी सेवक को अनुमन्य/अधिकृत श्रेणी का किराया/यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति देय होगी।

3– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–1115/वि0अनु0–03/2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 के प्रस्तर–7 के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई सरकारी सेवक भारत वर्ष में यात्रा अवकाश सुविधा लेता है तब उसे यात्रा के स्थान से गन्तव्य स्थान तक आने–जाने के लिए न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी तथा गन्तव्य स्थान पर जाते समय अथवा वापसी में सरकारी सेवक तथा उसका परिवार रास्ते में एक अथवा उससे अधिक स्थानों पर रूकते है अथवा अवस्थान करते हैं तब भी उन्हें किराया निर्धारित दूरी के सीधे टिकट के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

4– शासनादेश संख्या–1115/वि0अनु0–03/2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त शासनादेश के शेष प्रावधान/शर्ते यथावत् बने रहेंगे।

भवदीय,

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 14-05-2025
12:2[illegible]

(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या– / XXVII-7/E-65846/2023 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी।
7. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 14-05-2025
13:39:25

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।